राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

क्रमांक:प.2/लेखा/स्टोर/2020–21/ 6791 दिनांक: 3-6-2020

मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध करवाये जाने बाबत बोली सूचना

इस कार्यालय हेतु वर्ष **2020–21** के लिये मासिक आधार पर लगभग तीन वाहन (स्वीफट, इण्डिगो कार, टाटा टिगोर , इटियोस आदि) एक वर्ष 31–3–2021 अथवा आगामी वर्ष हेतु दर अनुमोदित होने तक के लिए किराये पर लिए जाने है।

वाहन किराये पर लिए जाने बाबत शर्ते निम्नानुसार है:–

1. वाहन किराये की दर 1500 किलोमीटर प्रति माह चलने की एकमुश्त तथा इससे अधिक किलोमीटर चलने पर प्रति किलोमीटर की दर प्रस्तुत करें ।
2. वाहन से यात्रा राजस्थान के किसी भी जिले के लिये की जा सकती है । वाहन के फयूल एवं रख रखाव/मरम्मत आदि का व्यय एवं वाहन चालक के वेतन आदि का भुगतान ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगे।
3. वाहन टैक्सी परमिट रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं पॉच वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए।
4. टोल टैक्स के अतिरिक्त सभी कर ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा वहन किये जावेगे। ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा चुकाये गये टोल टैक्स का पुनर्भरण इस संबधी रसीद प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा।
5. नियमानुसार आयकर (टी.डी.एस), सर्विस टैक्स आदि की कटौती ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक के भुगतान से की जावेगी।
6. वाहन जिसे राजकार्य पर लगाया जावेगा उस वाहन पर डयूटी के दौरान **ON GOVT-DUTY** की प्लेट लगानी होगी।यात्रा समाप्ति के पश्चात उक्त प्लेट कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक को प्रत्येक वाहन हेतु अमानत राशि के लगभग 15000/–(पन्द्रह हजार रूपये) पृथक–पृथक जमा कराने होगे।
8. विभाग द्वारा चयनित ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लिया जाकर उसका भुगतान कर दिया जावेगा तथा उस पर होने वाला व्यय संबंधित फर्म के बिल में से वसूल किया जावेगा तथा इस हेतु राजकार्य में होने वाली बाधा के लिये संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
9. किराये के वाहनों हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.9(1)एफ डी. 1/बजट/2012 दिनांक 10 फरवरी 2012, एफ.2(4)एफ.डी/एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 19.07. 2018 एवं एफ.2(4)एफ.डी/एस.पी.एफ.सी/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं समय समय पर इस संबध में जारी होने वाले परिपत्रों की समस्त शर्तें मान्य होंगी एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबधी किये गये संशोधन मान्य होगे इस बाबत एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा।
10. वाहनों का किराया राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा वर्तमान में निर्धारित दरों एवं समय समय पर की जाने वाली संशोधित दरों के अनुसार देय होगा ।

अतः उक्त विवरण एवं शर्तो के अनुरूप कोई ट्रैवल एजेन्सी/वाहन मालिक विभाग को किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत हो तो लिखित में उपरोक्त पर अपनी सहमति का पत्र एवं वाहन की आर0सी0,बीमा इत्यादि सहित दिनांक 15.06.2020 को मध्यान्ह 3.00 बजे तक सहायक निदेशक, निदेशालय,आयुर्वेद विभाग,अजमेर के नाम कार्यालय मे प्रेषित करावे।

(महेन्द्र माथुर)

सहायक निदेशक

क्रमांक– प.2/लेखा/स्टोर/2020–21/ दिनांक:

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सहायक प्रोग्रामर, आयु.निदेशालय अजमेर को देकर लेख है कि उक्त सूचना को State Public Procurement Portal/ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड

सहायक निदेशक